

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 25-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1229	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.96 (प्रश्न क्रं.2482) दि. 25-07-2017 (श्री रामनिवास रावत)	प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 2013 दिनांक 09 दिसम्बर 2016 के उत्तर में प्रश्न की विषय वस्तु से हटकर भ्रामक असत्य जानकारी भेजने वाले उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाना।	(1) जी हां। (2) कार्यवाही की जा रही है।		
1230	अतारांकित प्रश्न सं.147 (प्रश्न क्रं.3102) दि. 25-07-2017 (श्री जसवंत सिंह हाड़ा)	शाजापुर जिले के शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में विद्युतीकरण एवं कृषकों के कुएं तक विद्युत लाईन का विस्तार किये जाने की योजना अंतर्गत हितग्राही कृषकों के लंबित आवेदनों का शीघ्र परीक्षण कर निराकरण किया जाना।	196 कृषकों के आवेदन लंबित हैं।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 25-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1231	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.1152) दि. 25-07-2017 (श्री शान्तिलाल बिलवाल)	झाबुआ जिला मुख्यालय स्थित हाईस्कूल बुनियादी एवं हाईस्कूल हुडा (झाबुआ) का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के पालन में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किया जाना ।	02 वर्षीय कार्ययोजना स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
1232	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.1842) दि. 25-07-2017 (श्री रामलाल रौतेल)	विभाग के शिक्षकीय अमले जिनका की संलग्नीकरण किया गया अथवा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये है को शासनादेश के पालन में उनके मूल स्थान में वापस किया जाना ।	जी हां ।		
1233	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्रं.1865) दि. 25-07-2017 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खण्डवा जिले सहित इंदौर संभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	(1) पद पूर्ति प्रक्रियाधीन है । (2) पद पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
1234	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.99 (प्रश्न क्रं.2511) दि. 25-07-2017 (श्री कैलाश चावला)	कुकडेश्वर, जिला नीमच में स्वीकृत 50 सीटर छात्रावास का निर्माण खेल मैदान में न किया जाकर प्रश्नकर्ता एवं क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा दिये गये सुझाव पर कलेक्टर नीमच के प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही किया जाना ।	(1) जी हां । कार्यवाही प्रचलन में है । (2) कलेक्टर के प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा ।		
1235	अतारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.1523) दि. 25-07-2017 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में अधीक्षक/अधीक्षिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना ।	पदों की पूर्ति विभागीय नियमों के तहत की जावेगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1236	अतारांकित प्रश्न सं.62 (प्रश्न क्रं.2178) दि. 25-07-2017 (पं. रमेश दुबे)	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिन्दवाडा जिले के अन्तर्गत श्री सत्यनारायण परतेती, शिक्षक आदिवासी बालक छात्रावास सांख द्वारा विभागीय कर्मचारी से सांठगांठ कर अनुपस्थिति की अवधि माह मई 2017 के वेतन आहरण किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	माह मई के वेतन आहरण की जाँच कराई जाकर गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।		
1237	अतारांकित प्रश्न सं.101 (प्रश्न क्रं.2531) दि. 25-07-2017 (श्री मोती कश्यप)	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कुण्डम, मुख्यालय जबलपुर के सलाहकार मंडल का परियोजना की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु शीघ्र पुनर्गठन किया जाना ।	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कुण्डम के सलाहकार मण्डल के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 25-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1238	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.2749) दि. 25-07-2017 (श्री चन्द्रशेखर देशमुख)	बैतूल जिले की मुलताई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत फीडर सेपरेशन के स्वीकृत कार्यों में से शेष अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाना एवं ठेकेदार द्वारा कार्य में की जा रही अनियमितताओं की जांच मा. प्रश्नकर्ता सदस्य की उपस्थिति में कराई जाना।	(1) शेष जो बचे हैं जो माननीय सदस्य ने जो कार्य पूछे हैं वह कार्य भी हम बहुत जल्दी पूरे कर देंगे। (2) हम उसकी जांच करवा लेंगे।		
1239	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.2581) दि. 25-07-2017 (डॉ. मोहन यादव)	उज्जैन शहर के तीन बल्ली चौराहा, वेदनगर एवं टावर चौराहा वाले क्षेत्र से 11 के.व्ही. एल.टी. विद्युत लाईन जा रही है के नीचे सुरक्षा की दृष्टि से गार्डिंग अनिवार्य रूप से शीघ्र लगाया जाना एवं प्रदेश की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां गार्डिंग नहीं लगाई है वहां गार्डिंग लगाई जाना।	(1) हम उसको दिखवा लेंगे, वैसे अधिकतर क्रासिंग पर है, जहां पर नहीं है, उसके लिये हम आदेशित करते हैं, वहाँ पर लगवा देंगे। (2) अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप उनका काम जल्द करवा दें। (3) आपके आदेश का पालन किया जायेगा। (4) अतिशीघ्र हम करवा देंगे। (5) हम उसे करने का प्रयास करेंगे।		
1240	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.2235) दि. 25-07-2017 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेलखेडा में 132 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य समय-सीमा में कराया जाना।	12 माह में इस उप केन्द्र का कार्य पूरा कर दिया जायेगा।		
1241	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.1880) दि. 25-07-2017 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शेष बचे मजरे-टोलों में विद्युतीकरण का कार्य समय-सीमा में कराया जाना।	(1) शेष बचे सभी मजरे-टोलों का कार्य हमने दीनदयाल योजना में सम्मिलित कर लिया है। निविदा भी बुला ली है। बाकी का जो काम है वह हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। (2) सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूं कि पहले इनके मजरे-टोलों का काम पूरा कर दूंगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1242	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.1166) दि. 25-07-2017 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के लहार विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत अनुबंध के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किये जाने की जांच प्रश्नकर्ता मा. सदस्य की उपस्थिति में कराया जाना एवं शेष विद्युतीकरण के कार्य को शीघ्र कराया जाना ।	(1) यहां काम नहीं हुए हैं और यदि आप कहेंगे तो आपके स्तर पर, आप खुद साथ में चल कर, आपके समक्ष उसकी जांच करवा लेंगे । (2) दीनदयाल योजना में उन कामों को शामिल कर लिया है और निविदा भी बुला ली है और माननीय सदस्य ने जो सत्यापन की बात की है उस बात से भी हम सहमत है ।		
1243	तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.1787) दि. 25-07-2017 (श्री नारायण सिंह पँवार)	राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा अन्तर्गत ग्राम पीपल्या पेडात में फीडर विभक्तिकरण कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाना ।	एक काम तो हो गया और दूसरा गांव पीपल्या पेडात है उसके विभक्तीकरण का कार्य है वह भी काम हम दो महीने में कर देंगे लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि मेरे अधिकारी लोग भी यहां बैठे हैं इस प्रकार के यदि कोई प्रकरण किसी भी माननीय सदस्य के आते हैं और यदि लाइट जा रही है तो उस पर तुरंत विचार किया जाएगा ।		
1244	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.214) दि. 25-07-2017 (श्री सुशील कुमार तिवारी)	भोपाल (संचा./संधा.) ग्वालियर (शहर) शाजापुर, बुरहानपुर, जबलपुर शहर एवं दमोह वृत्तों में विद्युत की स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था शीघ्र प्रारंभ किया जाना ।	स्पॉट बिलिंग हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
1245	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.1734) दि. 25-07-2017 (श्री प्रताप सिंह)	दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत लाईन का विस्तार कर विद्युत पम्प कनेक्शन प्रदाय करने में अनियमितता के लिये जिम्मेदार कनिष्ठ यंत्री तेजगढ़ के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण में विलंब हेतु अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा), दमोह द्वारा दिनांक 10.07.2017 को श्री शैलेश सिंह, कनिष्ठ यंत्री, तेजगढ़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है ।		
1246	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.57 (प्रश्न क्रं.1975) दि. 25-07-2017 (श्री आशीष गोविंद शर्मा)	देवास जिले के विधानसभा क्षेत्र खातेगांव अंतर्गत ग्राम अगरदा में नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही शीघ्र कराई जाकर विद्युत उपकेन्द्र प्रारंभ किया जाना ।	वर्तमान में ग्राम अगरदा में नवीन विद्युत उप केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि के आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
1247	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.68 (प्रश्न क्रं.2139) दि. 25-07-2017 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत इन्दौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग में विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन हेतु लंबित आवेदनों का निराकरण कर विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाना ।	वर्तमान में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत उज्जैन राजस्व संभाग में कुल 91 एवं इंदौर राजस्व संभाग में कुल 23 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन के आवेदन लंबित है तथा उक्त सभी प्रकरणों में विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु विद्युत लाईन विस्तार का कार्य प्रगति पर है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1248	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.85 (प्रश्न क्रं.2315) दि. 25-07-2017 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर संभाग सागर के कार्यालय हेतु विभिन्न स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	विभिन्न पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1249	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.89 (प्रश्न क्रं.2329) दि. 25-07-2017 (एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार)	श्री विनोद कटारे, महाप्रबंधक (चालू प्रभार) मुरैना मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	श्री कटारे के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच प्रारंभ कर दी गई है। जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।		
1250	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.106 (प्रश्न क्रं.2550) दि. 25-07-2017 (श्री गिरीश गौतम)	रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम खुम्मवा-सुअरहा में 63 के.व्ही. के अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने में प्राक्कलन स्वीकृति में विलम्ब के लिये जिम्मेदार संबंधित कनिष्ठ यंत्री देवतालाब के विरुद्ध कार्यवाही कर विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जाकर समय-सीमा में विद्युत प्रदाय आरंभ किया जाना।	प्राक्कलन स्वीकृति में संबंधित कनिष्ठ यंत्री, देवतालाब द्वारा विलंब किया गया, जिसके लिये अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) रीवा द्वारा उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 13.07.17 को जारी किया गया है।		
1251	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.117 (प्रश्न क्रं.2657) दि. 25-07-2017 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)	परि.अता. प्रश्न क्र. 1095 दिनांक 23.02.2017 के संदर्भ में मुरैना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु शीघ्र निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरंभ किया जाना।	कार्यों का क्रियान्वयन टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1252	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.135 (प्रश्न क्रं.2773) दि. 25-07-2017 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	मुरैना जिला अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सेमी टर्न की कार्यों के लिये ठेकेदारों द्वारा अनुमोदित वेण्डरों से सामग्री क्रय न कर गुणवत्ता विहीन सामग्री लगाये जाने की जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जांच उपरांत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। (2) नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर ठेकेदारों के विरुद्ध तदानुसार कार्यवाही की जायेगी। (3) प्रकरण में जांचोपरांत दोषी पाए जाने पर वितरण कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।		
1253	अतारांकित प्रश्न सं.38 (प्रश्न क्रं.1790) दि. 25-07-2017 (श्री नारायण सिंह पेंवार)	राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप अनुदान योजनांतर्गत शेष लंबित प्रकरणों का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना।	शेष प्रकरणों का कार्य उत्तरांश (क) में दर्शाए अनुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर दिया जायेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

खनिज साधन विभाग

दिनांक: 25-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1254	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.141) दि. 25-07-2017 (श्री रामलाल रौतेल, श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	अनूपपुर जिले की तहसील राजेन्द्र ग्राम के क्षेत्र में स्थापित गौण खनिज क्रेशर आधारित खदान को प्रारंभ करने हेतु सक्षम अधिकारी की सैद्धांतिक सहमति एवं भण्डारण की अनुमति न दिये जाने से खनिज उद्योग बंद होने से स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति का निराकरण किया जाना।	(1) उसका परीक्षण करवाकर जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। (2) मध्यप्रदेश में उद्योग-धन्धे किसी भी जिले में स्थापित होंगे। लोकल लोगों को 50 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना होगा। (3) हम उनकी आवश्यकतानुसार स्किलिंग वहां पर लोकल बेरोजगार नौजवानों हेतु कर सकें और उनको वहां पर रोजगार के लिये स्थान उपलब्ध करवा सकें। (4) वायोस्फियर रिजर्व के अंदर यदि कोई आवेदन लंबित है, चाहे वह भण्डारण का हो या रिलीज का हो उसका परीक्षण करायेंगे और यदि पर्यावरण में विपरीत असर उनकी स्वीकृतियों के कारण नहीं आयेगा तो जरूर उस पर विचार करेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

गृह विभाग

दिनांक: 25-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1255	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.34) दि. 25-07-2017 (डॉ. गोविन्द सिंह, श्री मधु भगत, श्री रामनिवास रावत)	बालाघाट जिले के ग्राम खैरी स्थित फटाका फैक्ट्री में दिनांक 07 जून 2017 को हुए अचानक विस्फोट से 26 लोगों की मृत्यु होने एवं 05 लोग घायल होने की जांच एवं कार्यवाही की जाना तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित कर समिति की रिपोर्ट के आधार पर आम नागरिकों की सुरक्षा के हित में विस्फोटक कारखाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया जाना।	(1) हम ए.सी.एस. होम की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर रहे हैं, यह समिति 5 सदस्यीय होगी. इस समिति में 2 कलेक्टर, 2 पुलिस अधीक्षक होंगे एवं एक एडीजी, पुलिस होंगे. यह समिति 3 माह में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी. इस तरह की घटनायें आगे न हों, उसमें हिना जी के सुझाव को भी हम सम्मिलित करेंगे. वह अच्छा सुझाव है. इस तरह की घटनायें आगे न हों इसके लिये सख्त प्रावधान हम लोग कर सकते हैं, वह जरूर करेंगे। (2) इसको भी हम विचार करने के लिए उस समिति में सम्मिलित करेंगे। वह समिति इस पर भी विचार करेगी। (3) पुलिस गृह विभाग में एक अलग से सेल बना रहे हैं, वह हमारे एडीजी के नियंत्रण में रहेगा। वह सेल भी इसकी सतत निगरानी करेगा कि समय पर इन सब फैक्ट्रियों या जो फटाखा निर्माता हैं, उनका निरीक्षण समय पर हो, इसके लिये लगातार मॉनीटरिंग की आवश्यकता है, इसलिये हमने दो निर्णय आज इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से लिए हैं।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

दिनांक: 25-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1256	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.129 (प्रश्न क्र.2751) दि. 25-07-2017 (श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल)	धार जिले की तहसील कुक्षी के ग्राम निसरपुर के डूब में आये व्यवसायिक कारोबारियों का व्यवसाय संचालन हेतु पुनर्वास किया जाना।	व्यवसायिक पुनर्वास के लिये ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

दिनांक: 25-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1257	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.1116) दि. 25-07-2017 (श्री मोती कश्यप)	(1) कटनी जिला सहित समूचे प्रदेश में फेसवाइस आंगनवाडियों में बिजली और पंखे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना । (2) विदिशा शहर की आंगनवाडियों में दूध की सप्लाई नहीं किये जाने की जांच एवं कार्यवाही ।	(1) फेसवाइस मध्यप्रदेश की आंगनवाडियों में बिजली और पंखों की व्यवस्था करने जा रहे हैं । (2) शीघ्र अतिशीघ्र करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फेसवाइज ही हो पाएगा । (3) फेजेज में उसको पहले ले लेंगे । (4) इसकी जांच करा लेंगे ।		
1258	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.1935) दि. 25-07-2017 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	छतरपुर जिले में एम.पी. एगो से पूरक पोषण आहार राशन का परिवहन परियोजना गोदाम से आंगनवाड़ी केन्द्र तक कराये जाने के नियम विरुद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से परिवहन की राशि वसूल किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाना ।	(1) अगर ऐसी कहीं पर शिकायत है तो उसकी जांच करवा लूंगी । (2) जांच करने के पश्चात् दोषी पाये जाते हैं तो उन पर कार्यवाही करेंगे ।		
1259	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.101 (प्रश्न क्रं.2536) दि. 25-07-2017 (श्री दीवानसिंह विट्टल पटेल)	प्रश्नकर्ता के वि.स. प्रश्न क्रमांक 5642 दिनांक 10.03.2017 के संदर्भ में बड़वानी जिला अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण आहार वितरण व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक इन्दौर संभाग इंदौर को जांच हेतु दिए गए निर्देशानुसार जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) जी हां । संभागीय संयुक्त संचालक इंदौर संभाग इंदौर को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया । (2) संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जांच की जा रही है, जांच उपरांत दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी ।		
1260	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.133 (प्रश्न क्रं.2769) दि. 25-07-2017 (श्री हर्ष यादव)	सागर जिले की देवरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जाना ।	नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1261	अतारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्र.1926) दि. 25-07-2017 (श्री मुकेश पण्ड्या)	उज्जैन जिले की बडनगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जर्जर/क्षतिग्रस्त आंगनवाडियों के भवनों की मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने हेतु तकनीकी परीक्षण शीघ्र कराया जाकर वास्तविक रूप से मरम्मत/पुनः निर्माण योग्य आंगनवाड़ी भवनों का कार्य प्रारंभ किया जाना ।	आंगनवाड़ी भवन वास्तविक रूप से मरम्मत योग्य है या पुनः निर्माण योग्य है इसका तकनीकी परीक्षण कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक: 25-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1262	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.141 (प्रश्न क्र.2953) दि. 25-07-2017 (श्री जयवर्द्धन सिंह)	शाजापुर जिले में किसानों की भूमि की फर्जी रजिस्ट्रियां किये जाने की प्राप्त शिकायतों की जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	शाजापुर जिले के राजस्व अनुभाग शाजापुर में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जाँच दल गठित कर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/उप पंजीयक को सदस्य बनाया गया है। इसी प्रकार अनुभाग कालापीपल में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच दल गठित कर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/उप पंजीयक को सदस्य बनाया गया है। जाँच दल द्वारा रजिस्ट्रियों के संबंध में जाँच की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

वित्त विभाग

दिनांक: 25-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1263	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.1955) दि. 25-07-2017 (श्री प्रहलाद भारती)	प्रदेश के 01 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के पेंशन अंशदान खाते में जमा राशि को सेवा अवधि में आवश्यकता पड़ने पर जैसे बीमारी, बेटी की शादी, मकान का निर्माण आदि के लिए निकालने हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान सुविधा उपलब्ध कराई जाना ।	(1) यह सुविधा अभिदाता संपूर्ण सेवाकाल में तीन बार, कम से कम पांच वर्ष की अवधि के अन्तराल से प्राप्त कर सकेगा । (2) मैं आज सदन में इसकी घोषणा करता हूँ । यह हमारे राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिये है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक: 25-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1264	तारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.2107) दि. 25-07-2017 (श्रीमती झूमा सोलंकी)	प्रदेश में आयोजित बैठकों, शासकीय महाविद्यालयों की जन-भागीदारी समिति की बैठकों में माननीय विधायकों का नाम प्रोटोकॉल अनुसार रखे जाने हेतु शीघ्र निर्णय लिया जाना ।	(1) इसके बारे में शीघ्र ही विचार करके निर्णय लिया जाएगा। (2) शीघ्र निर्णय लिया जाएगा ।		
1265	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.486) दि. 25-07-2017 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	प्रश्नकर्ता के ता.प्र. क्र. 1246 दिनांक 23.02.2017 के संदर्भ में जिला योजना अधिकारी भिण्ड के आदेश क्र. 71 दिनांक 29.01.2000 के कम्प्यूटर स्टडीज एण्ड सर्विसेज रीवा को नियम विरुद्ध 484675 प्रति विद्यालय के मान से 6 विद्यालय के आदेश जारी किये जाने की जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जांच प्रक्रियाधीन है ।		
1266	अतारांकित प्रश्न सं.24 (प्रश्न क्रं.1428) दि. 25-07-2017 (श्रीमती नंदनी मरावी)	प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 677 दिनांक 23.02.17 के संदर्भ में पंचायत सेवा शासकीय अधिकारी कर्मचारी महासंघ को मान्यता देने के संबंध में मा० न्यायालय द्वारा याचिका क्र. 17898/11 दिनांक 28/03/2017 को निराकरण किये जाने के पश्चात् शीघ्र महासंघ को मान्यता दी जाना ।	(1) जी हाँ। (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1267	अतारांकित प्रश्न सं.66 (प्रश्न क्रं.2209) दि. 25-07-2017 (श्री दिनेश राय (मुनमुन))	सिवनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों में से शेष लंबित शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना ।	नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।		